हुक्म	
8/12/22	पत्रावली पेश। तहत तकुलीयापुरी गई। वास्ते आदेश दिनांक 21/12/22 को पेश हो।
21/12/22	पत्रावली पेश। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 28/12/22 को पेश हो।
28/12/22	पत्रावली पेश हुई। बहस वकुलाय पूर्व पेशी को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा.प. में ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के ख.स. 165 के पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना करते हुए यह बताया है कि प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि से चिपते ही रास्ता संख्या 164 व उसके चिपते ही खसरा सं. 163 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि को हड़पने हेतु उतारू है व उतरी माग पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद है। अप्रार्थीगण ने रास्ता संख्या 164 की भूमि को अपनी भूमि मे मिला लिया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के ख.स. 165 की सीमांकन व पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे बताया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत के बीच में रास्ता चलता है। दोनो खेतो की मांद आपस में मिलती नहीं है तो सीमा विवाद कैसे हो सकता है। प्रार्थी द्वारा यह नहीं बताया कि सीमा विवाद कैसे है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने पड़ोसी काश्तकारो को

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

न. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पक्षकार संयोजित नही किया है। सीमा विवाद को भी प्रार्थी सिद्ध नही कर पाए है। अतः प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय मे नही आए है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र व दस्तावेजो से साबित करने मे विफल रहे है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कि सीमा विवाद है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत तथ्यो को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नही किया। प्रार्थी यह भी सिद्ध नही कर पाए कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि ख.स. 164 पर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली प्रार्थना पत्र मे पक्षकारो (समस्त पड़ोसी) के संयोजन से विवादित स्थिति स्पष्ट होती है परंतु प्रार्थी द्वारा अपने समस्त पड़ोसी पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी ये सिद्ध करने मे विफल रहे है कि प्रार्थी का सीमा विवाद केवल अप्रार्थीगण से ही है। धारा 111 के तहत सीमा विवाद को प्रार्थी सिद्ध नही कर पाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आवश्यक पक्षकारो के संयोजन के अभाव व सीमा विवाद सिद्ध करने मे विफल रहने के कारण खारिज किया जाता है।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (टोडाभीम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible]